नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिन्ध और काश्मीर उसके राज्य में सम्मिलित नहीं थे। आसाम और वल्लभी के नरेश हर्ष के मित्र थे, उसके सामन्त नहीं। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि सम्राट हर्ष तत्कालीन उत्तरी भारत का सबसे महान् और प्रभावशाली शासक था।

हर्ष का शासन-प्रबन्ध

सम्राट हर्ष के शासन-प्रबन्ध के बारे में हमें काफी विस्तार के साथ जानकारी मिलती है। खुद उसके ताम्रलेखों, ह्वेनसाँग के यात्रा-विवरण तथा अन्य साक्ष्यों द्वारा हर्ष की शासन-व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। जिनके आधार पर निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत इसका अध्ययन किया जा सकता है।

केन्द्रीय शासन, सम्राट

हर्ष ने अपनी शासन-व्यवस्था का आधार गुप्त शासन प्रणाली को ही बनाया था किन्तु उसने अपनी मौलिक सूझ-बूझ का परिचय दिया था। वह शासन-व्यवस्था का अध्यक्ष था, इसलिए सबसे अधिक परिश्रम करना वह अपना कर्त्तव्य समझता था। ह्वेनसाँग ने लिखा है कि "शीलादित्य सम्राट हर्ष इतने अथक परिश्रमी हैं कि दिन का सारा समय भी उनके लिये पर्याप्त नहीं होता।" हर्ष की एक विशेषता यह थी कि वह अपने राज्य में शासन यात्रायें किया करता था जिससे वह जनता के निकट सम्पर्क में आये और उनके दुख-दर्द को जान कर उसे दूर करने की कोशिश करे। शासन-व्यवस्था के सभी अंगों—प्रशासन, सैन्य संगठन तथा न्याय-विधान का वही अध्यक्ष था। उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति का दायित्व उसी के ऊपर था और युद्ध में सेना का संचालन तथा नेतृत्व भी वही करता था। न्याय विभाग का वह सर्वोच्च न्यायाधीश था। इस प्रकार सम्राट का न्यायालय अपील का अन्तिम न्यायालय होता था।

मन्त्रिमण्डल और शासन विभाग

शासन-कार्यों में सम्राट को सहायता देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् थी और प्रत्येक मन्त्री केन्द्रीय सरकार के एक या एक से अधिक विभाग का अध्यक्ष होता था। मन्त्रियों का काम यों तो सम्राट को परामर्श देना था किन्तु अपने विभाग के सम्बन्ध में उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। किसी भी विषय पर अन्तिम निर्णय सम्राट ही ले सकता था। 'हर्षचरित' तथा अभिलेखों में पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—(१) महासन्धिविग्रहाधिकृत—युद्ध और शान्ति का मन्त्री, (२) महाबलाधिकृत—सेना का सबसे प्रधान कर्मचारी, (३) बृहदश्वार—अश्व सेना का प्रधान, (४) कटुक—गज सेनाध्यक्ष, (५) राजस्थानीय—पर-राष्ट्रमन्त्री, (६) महाप्रतीहार—राजमहल का शासक और रक्षक तथा (७) मीमांसक—न्यायाधीश। सार्वजनिक महत्व रखने वाली घटनाओं को लेखबद्ध करने के लिये अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी और इस कर्मचारी के लिए 'अक्षपटलिक' शब्द का प्रयोग किया गया है। साधारण क्लर्क के लिये करणिक शब्द प्रयोग होता था।

प्रान्तीय शासन

सुविधा और सुशासन की दृष्टि से सम्पूर्ण साम्राज्य को प्रान्तों में विभक्त कर दिया गया था जिन्हें "भुक्ति" अथवा "प्रदेश" कहते थे। कौशाम्बी, श्रावस्ती तथा अहिच्छत्र आदि कुछ प्रान्तों के नाम बराबर आये हैं। प्रान्तीय शासन की

रूपरेखा तथा पदाधिकारियों के नामों में हर्ष की शासन-व्यवस्था गुप्त शासन-प्रणाली के ऊपर ही आधारित थी। अपने प्रान्तीय शासकों पर हर्ष का नियन्त्रण काफी कड़ा था। यही कारण था कि उसके समय में प्रान्तीय शासकों के विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

स्थानीय शासन

प्रान्त या "भुक्ति" को जिलों में बाँटा गया था जिन्हें 'विषय' कहते थे। प्रत्येक विषय में अनेक ग्राम होते थे। ह्वेनसाँग ने ग्राम शासन के अनेक कर्मचारियों का उल्लेख तो किया है लेकिन उसने यह नहीं लिखा है कि नगरों तथा गाँवों का शासन किस प्रकार होता था। स्थानीय शासन के सम्बन्ध में आजकल की भाँति लोक प्रशासन की व्यवस्थायें (Municipal Boards) जैसी कुछ संस्थायें तो थीं किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में हमारा ज्ञान लगभग नहीं के बराबर है।

सैन्य प्रबन्ध

हर्ष की सेना का प्रबन्ध काफी सुसंगठित ढंग से किया गया था। सेना में ६०,००० हाथी, एक लाख अश्वारोही तथा पचास हजार पैदल थे। बाणभट्ट ने लिखा है कि सम्राट हर्ष अपनी अश्व सेना पर बहुत अधिक ध्यान देता है। फारस और अफगानिस्तान तक से घोड़े मँगवाये जाते थे। रात के समय कुछ अश्वारोही राज-भवन की रक्षा करने के लिये चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। सैनिकों की भर्ती में सम्राट स्वयं काफी रुचि दिखलाता था और उनका वेतन निश्चित कर देता था।

न्याय-व्यवस्था

राज्य में सम्राट के नीचे न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को 'मीमांसक' कहा जाता था। हर्षवर्द्धन बड़ा न्यायप्रिय सम्राट था और अपनी शासन-यात्राओं में वह गुणवानों को पुरस्कृत तथा अपराधियों को दण्डित करता था। हर्ष की इच्छा रहा करती थी कि मुकदमों का फैसला बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से हो किन्तु बाणभट्ट के हर्षचरित् से इस बात का संकेत मिलता है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार की कमी नहीं थी।

दण्ड-विधान

हर्षवर्द्धन के समय में अपराधियों को कठोर दण्ड दिये जाते थे, यद्यपि ह्वेनसाँग ने लिखा है कि चीन के मुकाबले दण्ड विधान काफी मृदु है। गुप्त सम्राटों के समय में अंगच्छेद का बिल्कुल परित्याग हो चुका था। किन्तु हर्ष के समय में छोटे-छोटे अपराधों के लिये अंगच्छेद किया जाता था। अपराधियों से अपराध कुबूल कराने के लिये उन्हें तरह-तरह की यातना दी जाती थी।

भूमिकर तथा राज्य के आय के साधन

हर्षवर्द्धन ने भूमिकर को बढ़ने नहीं दिया था यद्यपि उसे अपनी सेना पर खर्च अधिक करना पड़ा था। किसानों को उपज का $\frac{1}{6}$ भाग राज्य को देना पड़ता था। भूमिकर के अतिरिक्त राज्य की आमदनी के अन्य साधन थे जिनमें व्यापार पर चुंगी सबसे प्रमुख थी। अपराधियों पर लगाया जाने वाला अर्थदण्ड भी राज्य की आमदनी का साधन था।